"जल का अधिकार कानून" पर विशेषज्ञों का मंथन

जरूरत का पानी सभी को मिले

मंथन अध्ययन केन्द्र और **जिंदगी बचाओ अभियान** द्वारा 21 जुलाई 2019 को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित **जन परामर्श (पब्लिक कंसलटेशन)** में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जा रहे जल का अधिकार कानून में निजीकरण से बचा जाए ताकि समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव के जरूरत का पानी मिल सके। परामर्श में जल विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, सामाजिक शोधकर्ता, मैदानी कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सरकार ने देश में पहली बार जल का अधिकार कानून बनाने की घोषणा की। इस प्रस्तावित कानून से प्रदेश के नागरिकों की अपेक्षाओं पर चर्चा करने हेतु यह परामर्श आयोजित किया गया था।

परामर्श के दौरान हुई विस्तृत चर्चा में निम्न बिंदु प्रमुख रूप से सामने आए -

- प्रदेश में पेयजल के निजीकरण का खण्डवा में किया गया पहला प्रयास बुरी तरह असफल हो चुका है। इसलिए नए कानून में ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि पानी स्थानीय निकाय, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आदि के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाए। पानी का किसी भी स्थिति में निजीकरण न किया जाए।

- वर्तमान में ज्यादातर जलप्रदाय योजनाएँ ऐसी संचालित हो रही है जो बहुत दूर के स्रोतों पर आधारित है। सबके जल अधिकार सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जलस्रोत आधारित जलप्रदाय योजनाएँ बनाई जाए। जहाँ स्थानीय स्तर पर पर्याप्त जल स्रोत उपलब्ध नहीं है वहाँ पुराने जलस्रोतों को पुनर्जीवित किया जाए और अभियान चलाकर नए जलस्रोतों का भी निर्माण किया जाए ताकि स्थानीय जरूरत को पूरा किया जा सके।

- अनेक जलस्रोतों पर वैध/अवैध कब्जे हो चुके हैं। जिन्होंने जलस्रोतों पर कब्जे कर अन्य लोगों की जल उपलब्धता प्रभावित की है उन पर टेक्स/जुर्माना लगाकर उस राशि से नए जलस्रोतों का निर्माण किया जाए।

- जल संरक्षण के कामों का प्रभाव इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि जिस प्रमाण में संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं उससे अधिक मात्रा में जल का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए कानून में ऐसे प्रावधान करने होंगें ताकि जल संरक्षण की दर बढ़े तथा जल उपयोग में मितव्ययिता बरती जाए।

- जल संकटग्रस्त इलाकों में पानी की अधिक खपत करने वाले उद्योग नहीं लगाने चाहिए।

- नागरिकों को सचेत रहना चाहिए ताकि जल का अधिकार कानून उनके अधिकारों को सीमित करने का साधन न बन जाए।

- सरकार को चाहिए कि वह इस जनहितैषी कानून को पारित करने के पूर्व इसके प्रारूप को सार्वजनिक कर इसके बारे में नागरिकों की राय ले।

इस जन परामर्श में नर्मदा जल संरक्षण समिति (खण्डवा), किसान आदिवासी संगठन (होशंगाबाद), जलधारा अभियान (राजस्थान), जल संरक्षण समूह (पिपरिया), सोपेकॉप (महाराष्ट्र), मध्यप्रदेश विज्ञान सभा, किसान अधिकार मंच (अनूपपुर), सर्वोदय प्रेस सर्विस (इंदौर), सोनांचल विकास मंच (शहडोल), जन स्वास्थ्य अभियान (मध्यप्रदेश) एवं अन्य विशेषज्ञ एवं ग्रामीण शामिल हुए।